

अधिसूचना

गृह विभाग, मादाम कामा, मार्ग  
हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२  
दिनांक:- १० जुलै २०१५

क्रमांक :- एचडीओ-०२१५/प्र.क्र.३७/आस्था-१ : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२००५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५) च्या कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, गृह विभाग, याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ गृह विभाग, मंत्रालय (खुद्द) कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालयामार्फत तसेच, पोलीस आयुक्त कार्यालये, पोलीस अधीक्षक कार्यालये व त्यांच्य अधिनस्त असलेल्या विविध कार्यालयांमार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करित आहे :-

| अ.क्र | अधिसूचित सेवेचे नाव   | लोकसेवेचा तपशिल   | पदनिर्देशित अधिका-याचे पदनाम | प्रथम अपील अधिका-याचे पदनाम                 | द्वितीय अपील अधिका-याचे पदनाम                      |
|-------|---|---|------------------------------|---|--|
| १.    | २.  | ३.  | ४.                           | ५.  | ६.   |
| १.    | विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी                           | अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन ७ दिवस                        | कक्ष अधिकारी, गृह विभाग      | अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ | उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |
| २.    | कागदपत्रांचे साक्षांकन  | कार्यालयीन कामकाजाचे ७ दिवस                                       | कक्ष अधिकारी, गृह विभाग      | अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ | उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |
| ३.    | भारतीय नागरिकांसाठी "नोरी" प्रमाणपत्र                         | अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन ३० दिवस                       | कक्ष अधिकारी, गृह विभाग      | अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ | उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |
| ४.    | पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र                                    | अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन ३० दिवस                       | कक्ष अधिकारी, गृह विभाग      | अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ | उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |
| ५.    | विदेशी नागरीकांचे नागरिकत्वाचे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविणे | परीपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाचे ३० दिवस | कक्ष अधिकारी, गृह विभाग      | अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ | उप सचिव/सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |
| ६.    | तक्रारदारास प्रथम खबरी अहवालाची (एफ.आय.आर.) प्रत पुरविणे      | नोंदणीनंतर तात्काळ  | पोलीस ठाणे अंमलदार           | पोलीस ठाणे अधिकारी                          | उप-विभागीय पोलीस अधिकारी/सहायक पोलीस आयुक्त        |
| ७.    | ध्वनीक्षेपकाचा (लाऊडस्पीकर)                                   | कार्यालयीन कामकाजाचे ०३ दिवस                                      | पोलीस ठाणे अधिकारी           | उप विभागीय पेलीस अधिकारी/सहायक              | अपर पेलीस अधीक्षक/पोलीस उप                         |

|     | परवाना देणे  |                              |   | पोलीस आयुक्त  | आयुक्त                                    |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|
| ८.  | मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना - हरकत प्रमाणपत्र  | कार्यालयीन कामकाजाचे २१ दिवस | कार्यालयीन अधीक्षक/प्रशासकिय अधिकारी                                    | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/सहायक पोलीस आयुक्त (मुख्यालय/प्रशासन) | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय)  |
| ९.  | सभा, संमेलन, मिरवणुक शोभायात्रा इ. करीता परवाना देणे   | कार्यालयीन कामकाजाचे ०७ दिवस | पोलीस ठाणे अधिकारी/ उप-विभागीय पोलीस अधिकारी/पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) | उप विभागीय पोलीस अधिकारी/अति. पोलीस अधीक्षक                       | पोलीस अधीक्षक                             |
|     |  |                              | पोलीस ठाणे अधिकारी/सहायक पोलीस आयुक्त/सहायक पोलीस आयुक्त(मुख्यालय)      | सहायक पोलीस आयुक्त/ पोलीस आयुक्त/पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय)       | अति पोलीस आयुक्त/पोलीस सह आयुक्त          |
| १०. | विदेशी नागरिकांना निवासासाठी मुदतवाढ देणे/ नाहरकत प्रमाणपत्र देणे                            | कार्यालयीन कामकाजाचे ०७ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा                       | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा       | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| ११. | भारत देशात परत येण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे.   | कार्यालयीन कामकाजाचे ०७ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा                       | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा       | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| १२. | पारपत्र पडताळणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे  | कार्यालयीन कामकाजाचे १५ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा                       | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा       | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| १३. | निमशासकिय, खाजगी संस्था इत्यादी मध्ये नोकरीकरीता वर्तणुक व चारीत्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे | कार्यालयीन कामकाजाचे ३० दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा                       | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा       | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| १४. | पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इत्यादीकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र                           | कार्यालयीन कामकाजाचे २१ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा                       | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा       | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |

|     |  |                              |   |   |   |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|
| १५. | शस्त्र परवान्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे  | कार्यालयीन कामकाजाचे २१ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| १६. | भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे (शिक्षणासाठी/ नोकरीसाठी) प्रवेशपत्र (व्हिसा) | कार्यालयीन कामकाजाचे २१ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |
| १७. | तिबेटीयन नागरीकांना भारत देशात परत येण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे  | कार्यालयीन कामकाजाचे १५ दिवस | पोलीस निरीक्षक, जिविशा/पोलीस निरीक्षक, विशेष शाखा | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय)/ सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने